प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10 अप्रैल, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लोक्खर शुक्ला उर्फ शिवशंकर शुक्ला पुत्र श्री गिरजा शंकर शुक्ला, निवासी जनपद-फतेहपुर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-27703/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.09.2023) दिनांक-06.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लोक्खर शुक्ला उर्फ शिवशंकर शुक्ला पुत्र श्री गिरजा शंकर शुक्ला, कुसुम्भी थाना-असोधर जनपद-फतेहपुर का निवासी है। दिनांक-29-02-2008 को श्रीमती व उसकी पुत्री आशा देवी खेत में काम कर रही थी। बंदी के भाई झल्लू शुक्ला ने आशा देवी के साथ बलात्कार का प्रयास किया, जिस पर आशा देवी की मॉ ने हंसियें से प्रहार कर झल्लू शुक्ला को घायल कर दिया। घटना की सूचना पाकर बंदी लोक्खर शुक्ला ने पहुँच कर देशी पिस्टल से अंधाधुध फायर कर श्रीमती नामक महिला एवं उसकी पुत्री आशा देवी सहित 02 लोगों की हत्या कर दी। बंदी के घायल भाई झल्लू की उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-23/2008, 215/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी/एस.टी0(पीए) एक्ट, फतेहपुर के आदेश दिनांक 20.04.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03.10.2018 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 04.09.2023 तक 15 वर्ष, 02 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 02 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, 02 बार पैरोल पर जाने व 02 माह के पैरोल पर गतिविधियां एवं आचरण संतोषजनक होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी की आयु 60 वर्ष 06 माह 14 दिन है। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2023 तक भोगी गयी अपरिहार 15 वर्ष, 02 माह, 02 दिन की सजा तथा सपरिहार 17 वर्ष, 02 माह 26 दिन की सजा, जेल आचरण सन्तोषजनक होने, बन्दी की अधिक आयु व वृद्धावस्था, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने में उपयुक्त होने, बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, 02 बार पैरोल पर जाने व 02 माह की अवधि में बन्दी का चाल-चलन अच्छा होने व समय से कारागार में हाजिर होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी लोक्खर शुक्ला उर्फ शिवशंकर शुक्ला पुत्र श्री गिरजा शंकर शुक्ला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लोक्खर शुक्ला उर्फ शिवशंकर शुक्ला (बन्दी संख्या-263/2022) पुत्र श्री गिरजा शंकर शुक्ला, निवासी जनपद-फतेहपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

मदन मोहन

विशेष सचिव।

संख्या-42/2024/1268/रिट(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) डायरी संख्या-11397/2022 लोक्खर शुक्ला उर्फ शिवशंकर शुक्ला बनाम उ0प्र0 में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 10.102022. के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-42/2024/1268/रिट/22-2-2023-17(238)/2021

दिनांक 10 अप्रैल, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लोक्खर शुक्ला उर्फ शिवशंकर शुक्ला पुत्र श्री गिरजा शंकर शुक्ला, कुसुम्भी थाना-असोधर जनपद-फतेहपुर का निवासी है। दिनांक-29-02-2008 को श्रीमती व उसकी पुत्री आशा देवी खेत में काम कर रही थी। बंदी के भाई झल्लू शुक्ला ने आशा देवी के साथ बलात्कार का प्रयास किया, जिस पर आशा देवी की मॉ ने हंसियें से प्रहार कर झल्लू शुक्ला को घायल कर दिया। घटना की सूचना पाकर बंदी लोक्खर शुक्ला ने पहुँच कर देशी पिस्टल से अंधाधुध फायर कर श्रीमती नामक महिला एवं उसकी पुत्री आशा देवी सहित 02 लोगों की हत्या कर दी। बंदी के घायल भाई झल्लू की उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-23/2008, 215/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस.सी/एस.टी0(पीए) एक्ट, फतेहपुर के आदेश दिनांक 20.04.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03.10.2018 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 04.09.2023 तक 15 वर्ष, 02 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 02 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, 02 बार पैरोल पर जाने व 02 माह के पैरोल पर गतिविधियां एवं आचरण संतोषजनक होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी की आयु 60 वर्ष 06 माह 14 दिन है। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2023 तक भोगी गयी अपरिहार 15 वर्ष, 02 माह, 02 दिन की सजा तथा सपरिहार 17 वर्ष, 02 माह 26 दिन की सजा, जेल आचरण सन्तोषजनक होने, बन्दी की अधिक आयु व वृद्धावस्था, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने में उपयुक्त होने, बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, 02 बार पैरोल पर जाने व 02 माह की अवधि में बन्दी का चाल-चलन अच्छा होने व समय से कारागार में हाजिर होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी लोक्खर शुक्ला उर्फ शिवशंकर शुक्ला पुत्र श्री गिरजा शंकर शुक्ला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उक्त बन्दी को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।